

1768
29/11/21

समाप्त
मकिया, अउर- तराण के खानस-29 मे
जमीन व उनके भाई के पिताजी का नाम ओगा-दर है जबकि जमीन के इस्तानेज
के:- आकाई, मतराण पहचान पत्र मे कसबिहं नाम ओगाराण है कुतः
दस्तावेजों के आका पर ओगा के लिये ओगाराण किया जाना उचित है।

क्रमांक राजस्व/2020/

यूल ही उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदन पत्र मे वर्णितानुसार आवेदक
का नाम दुरुस्त किया जा रहा है। अतः उक्त नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरामा की जाती है।

उचित किया जाना उचित है।

29/11/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)

दिनांक :-

प्राचीन के आका दस्तावेजों पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0)
उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को प्रेषित कर पर राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि का उदयपुरवाटी तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद के अन्तर्गत दर्ज किया है।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दगी संख्या	संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	सण्ड	2075-78	29	दाजुलक, बनारीलाल अ ओगा	दाजुलक, बनारीलाल अ ओगाराण

नोट :- रोप प्रविष्टि का अमल तथा अमल में रुकावट भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 29/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1761-62
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्राचीन/प्राचीन को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी